

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी (यूपीएसबीसी)की दिनांक 29 अगस्त, 2022 को सायं 05:00 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्त:

उपस्थिति: संलग्नानुसार

उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी (यूपीएसबीसी) की विगत बैठक दिनांक 28 मार्च, 2022 को सम्पन्न हुई थी। प्रस्तुत बैठक में दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर निम्नवत् चर्चा की गयी:
बिन्दु सं0-1 Old rejected applications without assigning any reason/valid reasons need to be reopened

2. बैठक में दूरसंचार विभाग तथा टेलीकाम उद्योग संघ (DIPA & COAI) के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय स्थानों पर बिना अनुमति स्थापित मोबाइल टावर्स को सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं द्वारा, बिना नोटिस सील कर दिये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 28 मार्च, 2022 को सम्पन्न बैठक में निर्देश दिये गये थे कि पहले से स्थापित टावर्स के विनियमितीकरण (Regularization) हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा 'कम्पाउण्डिंग' की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रचलित नियमों में आवश्यक संशोधन कर करा ली जाये तथा यह व्यवस्था होने तक पहले से स्थापित टावर्स को सील नहीं किया जाये। सम्बन्धित विभागों द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा टावर्स को सील किया जा रहा है। बैठक में उल्लेख किया गया है कि आवासीय क्षेत्रों में भवनों पर मोबाइल टावर्स की स्थापना में आपत्ति लगाई जा रही है।

3. यह भी अवगत कराया गया कि जो आवेदन निरस्त किये जाते हैं, उनका आवेदन-शुल्क रु0-10,000/- भी जब्त कर लिया जाता है। डीपा के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया कि ऐसे आवेदनों पर पुनर्विचार (Re-opening) का प्राविधान किया जाय तथा ऐसे आवेदकों से पुनः आवेदन शुल्क ना लिया जाये और पूर्व/ निरस्त आवेदन की जब्त आवेदन शुल्क की धनराशि को आवेदन पर पुनर्विचार के लिए समायोजित किया जाये। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक आवेदन के सम्बन्ध में यह शुल्क निर्धारित है अतः इसे अन्य आवेदन के साथ समायोजित नहीं किया जा सकता है।

4. डीपा के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जनपद स्तरीय दूरसंचार समिति है, जिसकी बैठकें प्रत्येक त्रैमास की जाती हैं तथा उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि राइट ऑफ वे अनुमतियों हेतु प्राप्त आवेदनों पर इस बैठक में चर्चा के उपरान्त ही निरस्त किया जाये।

5. इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को भी इस समिति में सदस्य बनाया जाये। पूर्व में स्थापित मोबाइल टावर्स के विनियमितीकरण (Regularization) हेतु किये जाने वाले आवश्यक संशोधनों के प्रस्ताव बनाकर आगे की कार्यवाही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा की जाये।

(कार्यवाही-आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन)

6. जिन आवेदनों को निरस्त किया जाता है, उनके निरस्तीकरण के कारणों/ आधार का पूर्ण एवं स्पष्ट उल्लेख किया जाये। निरस्त किये गये आवेदनों के कारणों/ आधार की समीक्षा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय दूरसंचार समिति द्वारा दूरसंचार विभाग तथा टेलीकाम उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के साथ की जाये।

(कार्यवाही-समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०)

7. भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम-2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 को अंगीकृत किये जाने तथा दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा किये गये संशोधनों को उत्तर प्रदेश में अंगीकार किये जाने हेतु सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त किए जाने की कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30 प्र 0 शासन)

8. यह भी निर्देश दिये गये कि "सभी के लिए ब्रॉडबैंड" योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 5 जी सेवाओं के रोल-आउट के लिए सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर के उपयोग हेतु नीति का मसौदा तैयार किये जाने के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जाये।

(कार्यवाही-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30 प्र 0 शासन)

बिन्दु सं0-2

Installation and Regularization of Towers

(i) In un-authorized colonies/buildings without sanctioned building plans, Structural Safety Certificate and undertaking of shifting within notice of 10 days should suffice for tower installation

9. बैठक में अवगत कराया गया कि भवनों के ऊपर मोबाइल टावर्स की स्थापना हेतु स्वीकृत भवन मानचित्र (Sanctioned Building Plan) की आवश्यकता होती है। कतिपय मामलों में निर्मित भवनों के स्वीकृत मानचित्र नहीं होने के कारण, उन भवनों पर मोबाइल टावर्स की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। बैठक में अनुरोध किया गया कि संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण-पत्र (Structured Safety Certificate) के आधार पर ही मोबाइल टावर्स की स्थापना हेतु अनुमति निर्गत की जाये।

इस बिन्दु पर यह मत स्थिर किया गया कि मोबाइल टावर्स के स्थापनार्थ स्वीकृत भवन मानचित्र (Sanctioned Building Plan) की आवश्यकता के बिन्दु पर दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किये जायें। इस सम्बन्ध में राइट ऑफ वे पालिसी के अन्तर्गत लम्बित आवेदनों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिनांक 10 फरवरी, 2022 एवं दिनांक 09 मार्च, 2022 को सम्पन्न बैठक तथा उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी (यूपीएसबीसी) की दिनांक 28 मार्च, 2022 को सम्पन्न बैठक में चर्चा किये गये बिन्दुओं के दृष्टिगत शासनादेश निर्गत किया जाये।

(कार्यवाही-आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30 प्र 0 शासन)

(ii) Regularization of Towers by depositing one time administrative fee as per RoW Policy and/or production of deposited fee receipts (if deposited earlier).

[State's One Time Settlement (OTS) Scheme]

10. टेलीकाम उद्योग संघ के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि अन्य राज्यों में आवेदन शुल्क हेतु One Time Settlement (OTS) Scheme आती रहती हैं। इस सन्दर्भ में सुझाव दिया गया कि ऐसे मोबाइल टावर्स जिनके लिए पूर्व में अनुमति प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु स्थापित होकर परिचालनरत हैं, उनका विनियमितीकरण (Regularization) कर दिया जाये।

इस क्रम में टेलीकाम उद्योग संघ को निर्देश दिये गये कि अन्य राज्यों की One Time Settlement (OTS) Scheme उपलब्ध करा दें तथा इस संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

को One Time Settlement करने के लिए सुझाव दिया जाये।

(कार्यवाही- टेलीकाम उद्योग संघ (DIPA&COAI)/ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

(iii) Assam model may be adopted for offline applications

11. टेलीकाम उद्योग संघ (DIPA & COAI) के प्रतिनिधियों को इस प्रकार के आवेदनों की जनपदवार/ प्राधिकरण वार सूची, आवेदन-शुल्क की प्राप्ति रसीद सहित उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके उपरान्त ही इस बिन्दु पर विचार किया जा सकेगा।

(कार्यवाही- टेलीकाम उद्योग संघ)

बिन्दु सं0-3 Desealing of sealed tower till finalization of regularization policy

12. डीपा के प्रतिनिधियों द्वारा उल्लेख किया गया कि उच्चस्तरीय निर्देशों के बावजूद अभी भी टावर्स को सील किया जाना प्रचलित है तथा अनुरोध किया गया कि जिन टावर्स को सील किया गया है, उन्हें विनियमितीकरण (Regularization) की व्यवस्था होने तक सील-मुक्त कर दिया जाये।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करें, तब इस पर विचार किया जायेगा।

(कार्यवाही- टेलीकाम उद्योग संघ)

बिन्दु सं0-4 Road Restoration Charges

13. इस सम्बन्ध में भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम-2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकृत किये जाने का आग्रह किया गया। इस हेतु सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन)

बिन्दु सं0-5 Electric Billing for Towers and Small Cells

14. टेलीकाम उद्योग संघ (DIPA & COAI) के प्रतिनिधियों द्वारा किसी एक TSP/ IP के सभी मोबाइल टावर्स तथा स्माल सेल डिप्लॉयमेंट हेतु एकल विद्युत बिल ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराये जाने तथा वाणिज्यिक टैरिफ के बजाय औद्योगिक दरों की मांग की गयी।

ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि किसी एक TSP/ IP के सभी मोबाइल टावर्स तथा स्माल सेल डिप्लॉयमेंट हेतु एकल विद्युत बिल ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय प्रणाली में इससे सम्बन्धित व्यवस्था करायी जा रही है तथा आगामी 2-3 माह में पूर्ण हो जाने की आशा है।

वाणिज्यिक टैरिफ के बजाय औद्योगिक दरों सम्बन्धी मांग को विधिक कठिनाई के कारणवश, सम्भव नहीं पाया गया।

(कार्यवाही-ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन)

बिन्दु (i) Amendments in State RoW Policy in pursuance to GoI Notifications dated 21-10-2021 and 17-8-2022

सं0-6 (ii) Communications of provisions of State RoW Policy/SBC decisions to District Authorities/Local bodies through their Departmental Heads

15. भारत सरकार की अधिसूचनाओं दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 तथा दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा किये गये संशोधनों को अंगीकृत किये जाने हेतु कार्यवाही के लिए पूर्व प्रस्तरों के अन्तर्गत सम्यक निर्देश दे दिये गये हैं। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा समस्त जनपदों/ सम्बन्धित विभागों को राइट ऑफ वे नीति/ यूपीएसबीसी के निर्देशों के अनुपालन हेतु पुनः पत्र प्रेषित किये जाये।

(कार्यवाही-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30 प्र0 शासन)

बिन्दु सं0-7 Reluctance shown by District authorities/ Local bodies to work as per UP RoW Policy and decisions taken in SBC meetings by stating that the decisions/RoW policy have not been endorsed by their respective departmental heads

16. आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या 450/78-1-2022-666/2022 दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को विभागीय आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं किये जाने की समस्या के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि नीति आधारित निर्णय जारी कराये जायें।

(कार्यवाही-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30 प्र0 शासन)

बिन्दु सं0-8

Roll out of 5G in State

17. अवगत कराया गया कि प्रदेश में 5 जी सेवाओं के रोल-आउट के लिए सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर के उपयोग हेतु नीति का मसौदा तैयार किये जाने के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी गई है। ऊर्जा विभाग/ वन विभाग तथा नगर विकास विभाग को स्ट्रीट फर्नीचर हेतु जीआईएस आधारित मैपिंग के लिए प्रारूप जारी किया गया है। समिति की बैठक शीघ्र आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में जीआईएस आधारित मैपिंग कार्य की समीक्षा किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- ऊर्जा/ वन तथा नगर विकास विभाग, 30 प्र0 शासन)

बिन्दु सं0-9 (i) Incorporation of relevant chapter of National Building Code in State Building Code and State rules
(ii) Implementation of Addendum to Model Building Laws 2022 issued by MoHUA in the State (Provision of in-Building Solutions issued by Ministry of Housing and Urban Affairs)

18. अवगत कराया गया कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश को संबंधित आवश्यक अभिलेख प्रेषित किये जाये तथा उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी (यूपीएसबीसी) की आगामी बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश को आख्या सहित प्रतिभाग किये जाने हेतु आमंत्रित किया जाये।

(कार्यवाही-आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, 30 प्र0 शासन)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अरविन्द कुमार)

अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या:1435/78-1-2022

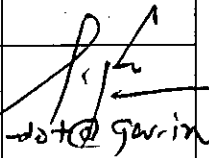
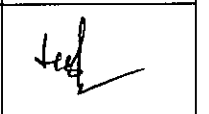
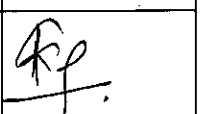
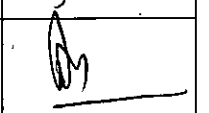
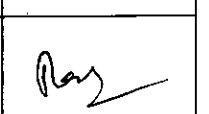
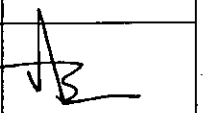
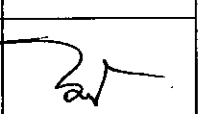
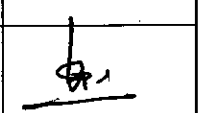
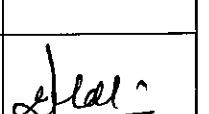
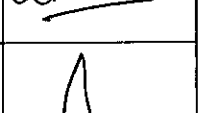
लखनऊ दिनांक 16 सितम्बर, 2022

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

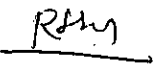
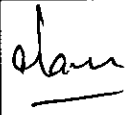
- 1- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/ नगर विकास विभाग/ लोक निर्माण विभाग/ वन एवं पर्यावरण विभाग/पंचायती राज विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/गृह विभाग/ऊर्जा विभाग,उ०प्र० शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 4- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
- 5- सलाहकार/ Sr DDG of Dot of The UP (East)& UP (West) LSAs दूर संचार विभाग, भारत सरकार।
- 6- CGM, BSNL UP (East) and UP (West), Telecom Circles
- 7- CGM BBNL - State Head UP (East) & UP (West)
- 8- COAI / TAIPA /DIPA
- 9- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 11- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 12- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
- 13- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अक्षय त्रिपाठी)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी (यू0पी0एस0बी0सी0) की मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29-08-2022 को सायं 05:00 बजे से 05:45 बजे तक लोक भवन, प्रथम तल स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत बैठक में उपस्थित अधिकारीगण:-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0 / ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1	RKM SRIVASTAVA	SR. DDG UP(E), LSA	D.O.T.	9471008685 Srddg.upe-dgt-dot@parin	
2	Mahidhar Pant	DDG UP E LSA	DoT	8004151617	
3	A.K. Sarsg	CGMT BSNL UP(E)	BSNL	9415050005	
4	POORAN MAH	DDG URBAN	DoT	9415261200	
5	Rakesh Kumar	DDG, (R-1), UPW Meerut	DoT	9868217061	
6	Atul sharma	PSM (BBNL) UPE Lucknow	BBNL DOT	9455005550	
7	A.K. Mishra	Dir(R-1)	DoT	9415011900	
8	Parvatma Rai	Director(Rural)	DOT	9868136343	
9	S.S. Pandey	ADG (Rural)	DoT	7007890898	
10	Ganow Verma	special Secretary Forest.	Forest	7017050885	

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं० / ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
11	Gangotri Kumar Dubey	OSD, Forest Corporation	Forest	9997676963	54
12	K.P. Singh	Sp. Secy PWD	PWD	8130466001	
13	A.R. Singh	SF, IDS, PWD. LKO	PWD	8317031495	1/2
14	M. Salim Beg	G.M. BSNL UP West Circle	BSNL UP (West) Circle	9797921646	mp
15	Aradhesh Kumar Khare	Joint Secretary	Panchayat Raj	9454413717	3/2
16	Pandey Jaiswal	Asst Director UPE	DoT	9453016288	
17	Omrit Singh	3rd Jalnigam	Jalnigam		
18	S. R. Khan	SP Computer Centre	UP Police	spad-supps C up.gov.in	
19	Anees Ahmad Ansari	SP, PHQ	UP Police	945440602	
20	Anoop Singh	SP, YO	UP Police	9454400202	
21	S.P. Singh	DIQ, Police Tehsil	UP Police	9454402614	

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं० / ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
22	Kamal Shukla	State Coordinator KAW	UPLC	9794644534	
23	Tarun Gamba	Secretary	Home	9463172700	
24	R. S. Singh	Asst. Mgr. Updun	IT Dept	9335075943	
25					
26	Vishnu Mohan	Asst. Manager	UPCL	9721457214	
27	Harpreet Singh	DIPA	DIPA Delhi:	harpreet.kainth @dipa.co.in 9815066490	
28	Meena Bisht	INDUS Towers National Head	INDUS Towers Kendriya	9310225538 meena.bisht@ indus/towers.co	
29	PANKAS KUMAR	MD, UPPCL		7380388884 mduppsl@gmail. com	
30					
31					
32					
33					